UPMA010031492026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।

पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार यादव–III(एच 0 जे0 एस 0)

(ID No.–UP2023)

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1047/2026

1–शिवम शर्मा उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र संतोष शर्मा,

2–सिद्धार्थ शर्मा उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र संतोष शर्मा

निवासीगण–देवचन्दपुर, पुलिस थाना रामपुर, माझा, जनपद गाजीपुर।

----- आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

------ विपक्षी।

दिनांक–25.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से मुकदमा अपराध सं० 91/2025 अन्तर्गत धारा 3(5), 115(2), 352, 333, 110, 117(2) भा०न्या०सं०, थाना रानीपुर, जनपद मऊ के मामले में जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा तरुण सिंह के दरवाजे पर आवारा पशु आया था, जिसको बड़े पिता जोखन सिंह द्वारा भगाया जा रहा था तभी विपक्षी घनश्याम शर्मा द्वारा गाली–गुप्ता देते हुए दरवाजे पर विरोध करने लगे, जब हम लोगों द्वारा पूछा गया तभी रुदल, अतुल, शिवम, सिद्धार्थ द्वारा हमारे घर में घुसकर लाठी, डण्डा, राड तथा धारदार हथियार द्वारा हम लोगों के उपर हमला कर दिये, जिसमें जोखन सिंह, रविन्द्र प्रताप, अभिषेक सिंह, अभय सिंह को गंभीर चोटे आयी है और हालत गंभीर है। वे लोग मौके पर बेहोश हो गये थे। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण/आवेदकगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत की गयी है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र में यह जमानत आधार लिया गया है कि प्रार्थीगण को मुकदमा मे झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर बेगुनाह फंसाया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर में जानबूझकर घटना का कोई समय दर्ज नही कराया गया है। इस प्रकरण में चोटहिलों को आयी चुटैलो को आई चोटे सामान्य प्रकृति की है, जिनमे धारा 110 बी.एन.एस. का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त है और न ही विचाराधीन है। उपर्युक्त कारणों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा उपर्युक्त जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण है तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवार को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये उसके घर में घुसकर लाठी–डण्डा, राड तथा धारदार हथियार से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई गयी है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का गहनता से परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित हो रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार वादी मुकदमा व उसके परिवार को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये उसके घर में घुसकर लाठी–डण्डा, राड तथा धारदार हथियार से मारकर चोट पहुंचाये जाने का आक्षेप लगाया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रस्तुत

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.06.27 10:41:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मामले में आज तक अंतरिम जमानत पर रहे हैं। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। इस प्रकरण के सह अभियुक्तगण घनश्याम शर्मा एवं अतुल शर्मा की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अधिरोपित अपराध में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इस क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मानित विधि निर्णय सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई एवं अन्य (2022) 10 एस.एस.सी. 51 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त संप्रेक्षण के प्रकाश में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध सं० 91/2025 अन्तर्गत धारा 3(5), 115(2), 352, 333, 110, 117(2) भा०न्या०सं०, थाना रानीपुर, जनपद मऊ स्वीकार किया जाता है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 40,000/–रु०(चालीस हजार रूपये) का स्व–बंध पत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय प्रति–भू प्रस्तुत करने पर <u>सत्यापन की प्रत्याशा में</u> निम्न शर्तों के अधीन संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि के उपरान्त उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. अभियुक्त प्रकरण के विचारण में सहयोग करेंगे।

2. जमानत का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं करेंगे।

3. किसी साक्षी को डराये–धमकायेगा नहीं।

दिनांक–25.06.2026

(संजय कुमार यादव–III)
सत्र न्यायाधीश,
मऊ।